सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के संबंध में दावा न की गई राशि की प्रोसेसिंग के लिए नीति

1. परिचय

1.1 आरईसी लिमिटेड सूचीबद्ध एनबीएफसी है और आरईसी स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के माध्यम से बड़ी मात्रा में धन जुटा रहा है।

1.2 सेबी ने दिनांक 08 नवंबर, 2023 के अपने परिपत्र के माध्यम से गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने वाली संस्थाओं के एस्क्रो खाते में पड़ी लावारिस राशि से निपटने और निवेशकों द्वारा ऐसी राशि पर दावा करने के तरीके के लिए प्रक्रियात्मक रूपरेखा निर्धारित की है।

1.3 चूंकि आरईसी ने गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियां जारी की हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, आरईसी को सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के संबंध में एस्क्रो खाते में पड़ी लावारिस राशि के प्रोसेसिंग के लिए एक नीति बनाने की आवश्यकता है।

1.4 तदनुसार, यह नीति कंपनी द्वारा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 61 (क) (2) की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार की गई है, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के परिपत्र सेबी/एचओ/डीडीएचएस/डीडीएचएस-आरएसी-1/पी/सीआईआर/2023/176 दिनांक 08 नवंबर, 2023 के साथ पठित है।

2. परिभाषाएँ और संक्षेपण:

कंपनी	कंपनी का अर्थ आरईसी लिमिटेड होगा
सेबी	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
स्टॉक एक्सचेंज	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और/या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
आरईसी	आरईसी लिमिटेड
आरटीए	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट

3. उद्देश्य:

3.1 यह नीति कंपनी द्वारा जारी सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी के पास पड़ी लावारिस राशि यानी ब्याज, लाभांश, मोचन पर दावा करने के लिए निवेशक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्दिष्ट करती है।

3.2 गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का अर्थ ऋण प्रतिभूतियों से है जिसमें गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर, गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय वरीयता शेयर, सतत गैर-संचयी वरीयता शेयर, स्थायी ऋण दस्तावेज, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड, कर मुक्त बॉण्डऔर सेबी द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य प्रतिभूतियां शामिल हैं।

4. निवेशकों द्वारा दावा न की गई रकम पर दावा करने की प्रक्रिया:

4.1 **दावा प्रस्तुत करना**: कोई भी निवेशक (ऐसे निवेशक के कानूनी उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारी/नामांकित सहित) कंपनी के पास पड़ी अपनी लावारिस राशि पर दावा करते हुए ऐसी राशि के भुगतान के लिए कंपनी/आरटीए को इससे संबंधित "अनुलग्नक क" के रूप में संलग्न प्रारूप में आवेदन कर सकता है।

4.2 **निवेशक की श्रेणी:** दावा प्रस्तुत करते समय, निवेशक को स्पष्ट रूप से उचित श्रेणी का चयन करना होगा जिसमें स्वयं/कानूनी उत्तराधिकारी/नामांकित आदि द्वारा उसका दावा किया जा रहा है।

4.3 **सहायक दस्तावेज़:** दावे के प्रपत्र के साथ सहायक दस्तावेज़ भी संलग्न होने चाहिए, जैसे कि पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण, पैन कार्ड, होल्डिंग का प्रमाण, बैंक खाते का विवरण और संबंधित सहायक प्रमाण आदि, जैसा कि अनुबंध क में उल्लिखित है।

4.4 **दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया:** निवेशक अपना दावा वास्तविक रूप से नोडल अधिकारी, आरईसी लिमिटेड, प्लॉट नंबर आई-4, इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास, सेक्टर-29, गुरुग्राम - 122001 को या कंपनी की वेबसाइट (**www.recindia.nic.in**) पर उपलब्ध ईमेल आईडी पर सेबी मानदंडों के अनुसार ई-मेल से जमा कर सकते हैं।

4.5 **समय-सीमा:** जहां ब्याज/लाभांश/मोचन राशि भुगतान की नियत तारीख से 30 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं हुई है, निवेशक भुगतान की नियत तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद दावा न की गई राशि के संबंध में कंपनी के पास अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं या यदि वारंट/डीडी को वारंट/डीडी की 90 दिनों की वैधता की समाप्ति के बाद या आरईसी लिमिटेड को मूल वारंट/डीडी जमा करने के बाद,जारी किया गया है, जो भी पहले हो। यदि कंपनी को दावा न की गई राशि और उससे जुड़े मामलों के संबंध में अधिक जानकारी या स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो निवेशक को निर्दिष्ट समय-सीमाके भीतर आवश्यक जानकारी/स्पष्टीकरण प्रदान करना होगा।

4.6 **दावे को अस्वीकार करने/फिर से दाखिल करने के विकल्प की शर्तें:** दावा आवेदन प्राप्त होने पर, यदि कंपनी को जांच करने पर, यदि उसे अतिरिक्त जानकारी के लिए कॉल करना आवश्यक लगता है या ऐसा आवेदन या दस्तावेज़ किसी भी तरह से दोषपूर्ण या अधूरा पाता है, तो वह निवेशक को जानकारी की ऐसी आवश्यकता या दोष या अपूर्णता के बारे में ईमेल या अन्य लिखित संचार द्वारा सूचित करेगा। कंपनी निवेशक को ऐसे संचार की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने या ऐसे दोषों या

अपूर्णताओं को सुधारने या ऐसे आवेदन या दस्तावेज़ को फिर से जमा करने का निर्देश देगी, अन्यथा दावा खारिज कर दिया जा सकता है। हालाँकि, दावे की अस्वीकृति किसी निवेशक को नया दावा दायर करने से नहीं रोकती है।

4.7 **दावे के प्रोसेसिंग के लिए समय-सीमा:** कंपनी किसी निवेशक से दावा आवेदन या निवेशक से मांगी गई पूरी जानकारी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, फंड ट्रांसफर के इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग करके निवेशक को भुगतान की प्रक्रिया करेगी और भुगतान करेगी।

4.8 **संपर्क विवरण:** निवेशक कंपनी की वेबसाइट (**www.recindia.nic.in**) पर निर्दिष्ट ईमेल आईडी और फोन नंबर पर संपर्क करके अपने दावे से संबंधित अपने प्रश्न या शिकायतें, यदि कोई हो, कर सकते हैं।

5. निवेशक के दावे से संबंधित दावों, दस्तावेजों आदि के सत्यापन के लिए कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली आंतरिक प्रक्रिया:

5.1 **दावे**, **दस्तावेजों आदि के सत्यापन की प्रक्रिया:** निवेशक से दावा आवेदन/अनुरोध प्राप्त होने पर, कंपनी दावे के सत्यापन के लिए प्रक्रिया शुरू करेगी, जिसमें कानूनी उत्तराधिकारी/नामांकित आदि सहित निवेशक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन भी शामिल है।

5.2 **दावे के प्रोसेसिंग या अस्वीकृति के लिए अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार:** जांच करने पर, यदि कंपनी को अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए कॉल करना आवश्यक लगता है या ऐसे आवेदन या दस्तावेज़ को किसी भी संबंध में दोषपूर्ण या अपूर्ण पाया जाता है, तो यह निवेशक को जानकारी की ऐसी आवश्यकता या दोष या अपूर्णता के बारे में ई-मेल या अन्य लिखित संचार द्वारा सूचित करेगा और ऐसे निवेशक को ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने या ऐसे दोष या अपूर्णता को सुधारने या ऐसे आवेदन या दस्तावेज़ को फिर से जमा करने का निर्देश देगा। इस तरह के संचार की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर, अन्यथा दावा खारिज कर दिया जा सकता है। हालाँकि, दावे की अस्वीकृति किसी निवेशक को नया दावा दायर करने से नहीं रोकेगी।

5.3 **दावे के प्रोसेसिंग के लिए समय-सीमा:** कंपनी किसी निवेशक से दावा आवेदन या निवेशक से मांगी गई पूरी जानकारी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, धन हस्तांतरण के इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का उपयोग करके निवेशक को भुगतान की प्रक्रिया करेगी और भेज देगी।

5.4 **रिकॉर्ड्स का रखरखाव:** कंपनी प्रासंगिक दस्तावेज सहित निवेशकों की लावारिस राशि से संबंधित जानकारी को संरक्षित करेगी और सेबी द्वारा मांगे जाने पर आवश्यक जानकारी

प्रदान करेगी।

5.5 **वेबसाइट पर दावों का विवरण प्रदर्शित करना:** कंपनी अपनी वेबसाइट पर अगले माह के 7वें दिन तक कंपनी से संबंधित प्राप्त, संसाधित, लंबित आदि दावों की संख्या का संचयी विवरण प्रदर्शित करेगी और वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी में कोई भी बदलाव मासिक आधार पर अपडेट किया जाएगा।

6. **प्रभावी तिथि:** यह नीति 1 मार्च, 2024 से प्रभावी होगी।

7. **नीति में संशोधन/विचलन:** सीएमडी नीति में किसी भी संशोधन/विचलन को मंजूरी देने के लिए अधिकृत है और नीति के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

"अनुलग्नक क"

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 **के विनियम** 61**क (**2**) के तहत दावा प्रस्तुत करने का प्रारूप:**

निवेशक/निवेशकों का नाम				
डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी				
आईएसआईएन				
भुगतान की देय तिथि				
भुगतान का प्रकार (ब्याज/लाभांश/मोचन)				
निवेशक की श्रेणी (कॉर्पोरेट/ट्रस्ट/बैंक/व्यक्ति आदि)				
वह पद जिसके तहत निवेशक दावा प्रस्तुत कर रहा है (स्वयं/कानूनी उत्तराधिकारी/नामांकित आदि)				
प्रत्येक आईएसआईएन के लिए दावा न की गई राशि का विवरण				
निवेशक का पैन				
पहचान का प्रमाण				
पते के प्रमाण सहित पता				
प्रतिभूति रखने का प्रमाण				
जमा करने की प्रक्रिया (हार्ड कॉपी/ईमेल के माध्यम से स्कैन की गई प्रति)				
ईमेल आईडी				
संपर्क विवरण/फोन नंबर				
बैंक विवरण (बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, शाखा का पता) जिसमें राशि हस्तांतरित/रिफंड की जानी है				
कोई अन्य आवश्यक जानकारी				

संलग्नक:

I. घोषणापत्र कि उपरोक्त दावा पहले नहीं किया गया है।
II. पैन की प्रति, पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण, निवेशक के गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों/डीमैट खाता विवरण रखने का प्रमाण, कानूनी उत्तराधिकारी/नामित के मामले में सहायक दस्तावेज।
III. सूचीबद्ध इकाई के बैंक खाते के लिए कैंसिल्ड चेक जहां भुगतान किया जाना है।
IV. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की सूची
V. उपरोक्त सभी दस्तावेज़ स्व-सत्यापित होने चाहिए और यदि आवश्यक समझा जाए तो प्रोसेसिंग के दौरान कंपनी किसी अन्य दस्तावेज़ को मंगा सकती है।